अनुदान संख्या 34 – प्रत्यक्ष कर
GRANT No. 34 - DIRECT TAXES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	6728,00,00		7127,96,00	7075,88,98	-52,07,02
पूरक	Supplementary	399,96,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					4,74,10
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	254,00,00		254,04,00	244,13,62	-9,90,38
पूरक	Supplementary	4,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					4,35,16

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹5207.02 लाख) दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹39996.00 लाख के पूरक अनुदान का 13 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹5207.02 lakhs) constituted 13 percent of the supplementary grants of ₹39996.00 lakhs obtained in December, 2018 and February, 2019 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2020"	Major Head "2020"				
आय तथा व्यय पर कर संग्रहण	Collection of Taxes on Income and Expenditure				
मू.	O.	655980.00			
पू.	S.	38996.00	695501.90	689904.23	-5597.67
पु.	R.	525.90			

(I) "निदेशन और प्रशासन – अन्वेषण" – ₹9137.30 लाख के मूल प्रावधान को ₹420.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹9557.30 कर दिया गया। तथापि, ₹529.23 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरे जाने, आईटी की अधिप्राप्ति होने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, प्रचार एवं प्रसार, कम नए स्थानों को किराये पर लिए जाने, कम दौरे किए जाने के कारण कम निधियों की आवश्यकता होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Direction and Administration - Intelligence" - the original provision of ₹9137.30 lakhs was augmented to ₹9557.30 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹420.00 lakhs. However, there was a saving of ₹593.23 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards IT procurements, medical re-imbursement, advertisement and publicity, less hiring of new spaces, less tours undertaken and economy measures.

(II) निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गए सीमा तक अप्रयुक्त रहा:–

(II) Supplementary grant obtained under the following heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) "संग्रहण प्रभार – आयकर – आयुक्त तथा उनके कार्यालय" – ₹560777.05 लाख के मूल प्रावधान को ₹21784.80 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹582561.85 लाख कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों को न भरे जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों, प्रचार एवं प्रसार तथा नये स्थानों को किराए पर लिए जाने के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹2255.60 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) "Collection Charges - Income Tax - Commissioners and their offices" - the original provision of ₹560777.05 lakhs was augmented to ₹582561.85 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹21784.80 lakhs which, however, remained unutlised to the extent of ₹2255.60 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards medical re-imbursement claims, advertising and publicity and hiring of new spaces.

(खा) "अन्य व्यय – अग्रिम निर्णय के लिए प्राधिकरण" – ₹1712.40 लाख के मूल प्रावधान को ₹686.20 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2398.60 कर दिया गया।

(B) "Other Expenditure - Authority for Advance Rulings" - the original provision of ₹1712.40 lakhs was augmented to ₹2398.60 lakhs by obtaining

तथापि, रिक्त पदों को भरे न जाने, चिकित्सा संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने, कम दौरे किए जाने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण ₹674.63 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

supplementary grant of ₹686.20 lakhs which, however, remained unutlised to the extent of ₹674.63 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards medical reimbursement, less tours undertaken and economy measures.

(III) "निदेशन और प्रशासन – अनुसंधान, सांख्यिकी और प्रकाशन" – ₹727.28 लाख की बचत (₹5.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹15546.85 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, जर्नल की खरीद स्टैंडिंग कांउसल के शुल्क, आईटी की अधिप्राप्ति लिए कम निधियों की आवश्यकता होने एवं किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) Under "Direction and Administration - Research, Statistics and Publication" - saving of ₹727.28 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹15546.85 lakhs including supplementary grant of ₹5.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards purchase of journals, standing counsel fees, IT procurements and economy measures.

(IV) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹817.28 लाख की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक लेकिन ₹500.00 लाख से कम थीं और स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत और 20 प्रतिशत थीं।

(IV) Under two heads savings of ₹817.28 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 19 percent and 20 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹711.90 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि "निदेशन एवं प्रशासन – संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं" के अंतर्गत ₹28996.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹618.97 लाख था।

2. The above savings were partly (₹711.90 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹28996.00 lakhs under "Direction and Administration - Organisation and Management Services". Actual excess, however, was ₹618.97 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	17437.00			
पू.	S.	2.00	12397.72	12098.13	-299.59
पु.	R.	-5041.28			
मुख्य शीर्ष "4216" आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4216" Capital Outlay on Housing				
मू.	O.	7763.00			
पू.	S.	2.00	12437.18	12183.18	-254.00
पु.	R.	4672.18			

(I) मुख्य शीर्ष "4059" – "कार्यालय भवन" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं।

(I) Under Major Head "4059" - "Office Buildings" - savings occurred under the following heads:-

(का) "निर्माण – भूमि अधिग्रहण एवं आयकर विभाग के लिए भवन निर्माण" – ₹4433.13 लाख की बचत (जुलाई, 2018 और दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹16394.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संपत्तियों की खरीद/निर्माण से संबंधित प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(A) "Construction - Acquisition of land and construction of building for income tax Department" - saving of ₹4433.13 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹16394.00 lakhs including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in July, 2018 and December, 2018) was due to non-materialisation of proposals towards purchase/ construction of properties.

(खा) "बने – बनाए आवासों का अधिग्रहण" – ₹907.74 लाख की बचत (₹1045.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संपत्तियों का अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(B) "Acquisition of Ready-Built Accommodation" - saving of ₹907.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1045.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals towards acquisition of properties.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹4672.18 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "4216" – "सरकारी आवासीय भवन – आयकर विभाग के लिए आवासीय भवन – भूमि अधिग्रहण एवं आयकर कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन का निर्माण" के अंतर्गत जुलाई, 2018 एवं दिसंबर, 2018 में ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹4459.69 लाख था।

4. The above savings were partly (₹4672.18 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹2.00 lakhs in July, 2018 and December, 2018 under Major Head "4216" - "Government Residential Buildings - Residential Buildings for Income Tax Employees - Acquisition of Land and Construction of Residential building for Income Tax Department". Actual excess, however, was ₹4459.69 lakhs.